

मेडिकल में दाखिला दिलाने के नाम पर धोखधड़ी कर कुल 10 लाख रुपये हड़पने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 रामसिंह मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 25/2024 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विनय कुमार शाही पुत्र दीनानाथ शाही निवासी ग्राम व पो0 बेलथरी थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज बिहार हा0मु0 प्लैट न0 302 ब्लॉक न0 28 फेस 2 बसुधरा इन्केलव तारामण्डल थाना रामगढ़ताल गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.11.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा उनकी पुत्री को नीट में दाखिला दिलाने के नाम पर उनसे 10 लाख रुपये ले लिया गया। अभियुक्त द्वारा न ही एडमिशन करवाया गया और न ही पैसा वापस किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास –

विनय कुमार शाही पुत्र दीनानाथ शाही निवासी ग्राम व पो0 बेलथरी थाना कुचायकोट जनपद गोपालगंज बिहार हा0मु0 प्लैट न0 302 ब्लॉक न0 28 फेस 2 बसुधरा इन्केलव तारामण्डल थाना रामगढ़ताल गोरखपुर

1. मु0अ0सं0- 0025/2024 धारा 419/420/467/468/471/504/506 बी0एन0एस0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 723/2023 धारा 406/504/506 बी0एन0एस0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रामसिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 कुश कुमार राय, थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
3. का0 रामपुकार गिरी थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
4. का0 राजेश शाह थाना रामगढ़ताल गोरखपुर